2025:CGHC:44825

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील क्रमांक 499/2017

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 18.06.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 03.09.2025

चुँकि श्रीमती केजिया बाई की मृत्यु हो गई है , विधिक प्रतिनिधियों द्वाराः

1– बहारू पिता बिकेराम साहू, आयु लगभग 50 वर्ष, व्यवसाय कृषक, निवासी ग्राम बोरसी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

2– लहरू राम पिता बिकेराम साहू, आयु लगभग 48 वर्ष, व्यवसाय कृषक, निवासी ग्राम परसाही, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

3–कन्हैया साहू पिता बिकेराम साहू, आयु लगभग 45 वर्ष, व्यवसाय कृषक, निवासी ग्राम फेकारी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

4– प्रहलाद कुमार साहू पिता बिकेराम साहू, आयु लगभग 42 वर्ष, व्यवसाय परसाही, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

5–श्रीमती गनेशिया बाई पति लोर सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष, व्यवसाय कृषक, निवासी ग्राम उमादा, भिलाई–3, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

... अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1 – अश्वनी कुमार साहू पिता तारण दास, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी बोहारडीह, तहसील पाताल, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

2 – भोला राम की मृत्यु हो गई है, विधिक प्रतिनिधियों द्वाराः

(क) – श्रीमती कृष्णा बाई पत्नी भोला राम साहू, आयु लगभग 65 वर्ष

(ख)–पुरुषोत्तम साहू पिता भोला राम साहू, आयु लगभग 40 वर्ष।

(ग) – गायत्री पिता भोला राम साहू, आयु लगभग 38 वर्ष।

प्रत्यर्थी क्रमांक (क) से (ग) निवासी– ग्राम बरगांव, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़

(घ) – हरिश्चंद पिता भोला राम आयु लगभग 36 वर्ष।

(ड़) – हेमंत कुमार पिता भोला राम साहू, आयु लगभग 32 वर्ष।

प्रत्यर्थी क्रमांक (घ) एवं (ड़) निवासी– हरीश वेल्डिंग वर्कशॉप के पास, बस स्टैंड, लाराबोद, तहसील व जिला बालोद छत्तीसगढ़।

3– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः कलेक्टर, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

--- प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण की ओर से	:श्री प्रवीण धुरंधर, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से	: श्री मलय श्रीवास्तव, अधिवक्ता की ओर से श्री सौरभ साहू और सुश्री साक्षी छाबड़ा, अधिवक्तागण।
राज्य की ओर से	: श्री अमन तंबोली, पैनल अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास

सी.ए.वी. निर्णय

1. यह प्रथम अपील प्रतिवादीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अधीन प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग, जिला– दुर्ग (छ.ग.) द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 76 अ/2013 (अश्विनी कुमार साहू विरुद्ध भोलाराम) में दिनांक 31.08.2017 को पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति (अनुलग्नक ए/1) को चुनौती दी गई है, जिसमें वादी द्वारा स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद को डिक्रीत किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. सुविधा हेतु, पक्षकारों को एतस्मिन पश्चात विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 76 अ/2013 में उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।

3. वादी ने मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए स्वत्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत किया कि:–

(क) खसरा क्रमांक 522, 32, 396/1, 513 एवं 386 की भूमि, जिनका रकबा क्रमशः 0.13, 3.21, 0.69, 2.24 एवं 0.03 हेक्टेयर है, जो ग्राम– बोहरडीह, पटवारी हल्का नंबर 19, राजस्व मण्डल– भिलाई, तहसील व जिला– दुर्ग में स्थित है (एतस्मिन पश्चात जिसे "वादग्रस्त भूमि" कहा गया है), को प्रतिवादी क्रमांक–1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–2 केजिया बाई के पक्ष में विक्रय किया गया। यह भी कथित है कि वादपत्र में उल्लिखित वंशावली के अनुसार अश्वनी कुमार एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 भोलाराम सगे भाई हैं तथा स्व. तारनदास के पुत्र हैं। तारनदास के दो पुत्र एवं दो पुत्रियाँ थीं, जिनकी पुत्रियाँ विवाहोपरांत अपने–अपने पतियों के साथ निवासरत हैं।

(ख) वादी का यह भी प्रकरण है कि वादग्रस्त संपत्ति श्रीमती पैसरनिन बाई पत्नी गंगादीन साहू की थी, जिनका दिनांक 28.09.1995 को ग्राम– बरगांव में निधन हो गया। श्रीमती लक्ष्मी बाई, श्रीमती पैसरनिन बाई की एकमात्र पुत्री थीं। वादी का यह भी कथन है कि पैसरनिन बाई, जो कि वादी एवं प्रतिवादी

क्रमांक–1 की दादी थीं, के निधन के पश्चात वादग्रस्त भूमि उनकी पुत्री लक्ष्मी बाई एवं पुत्र तारनदास, जो कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 के माता–पिता थे, को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई।

(ग) वादी का यह भी प्रकरण है कि पैसरनिन बाई के निधन के पश्चात भोलाराम ने वादग्रस्त संपत्ति को अपने पुत्र हरिश्चंद्र के नाम अंतरण कर दिया तथा तत्पश्चात उक्त संपत्ति को विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में विक्रय कर दिया। वादी द्वारा विक्रय विलेख को शून्य एवं अकृत घोषित किए जाने हेतु व्यवहार वाद क्रमांक 69–अ/2000 विद्वान पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–II, दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 16.09.2005 को वादी के पक्ष में डिक्रीत किया गया तथा फलस्वरुप विक्रय विलेख को शून्य एवं अकृत घोषित करते हुए वादी को अधिकार एवं कब्जा प्रदान किया गया। वादी का यह भी कथन है कि प्रतिवादी–भोलाराम द्वारा खसरा क्रमांक 32, रकबा 3.21 हेक्टेयर, ग्राम– बोहरडीह स्थित भूमि को केजिया बाई की पुत्रवधू जानकी बाई के पक्ष में विक्रय किया गया, जिसके विरुद्ध वादी द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 74–अ/2007 विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे आदेश दिनांक 16.02.2010 द्वारा वादी के पक्ष में डिक्रीत किया गया तथा यह घोषित किया गया कि दिनांक 15.02.2002 का विक्रय विलेख शून्य एवं अकृत है तथा वादी पर बंधनकारी नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(घ) वादी का यह भी प्रकरण है कि खसरा क्रमांक 32, रकबा 3.21 हेक्टेयर की भूमि को प्रतिवादी क्रमांक–1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–2 के पक्ष में दिनांक 15.02.2002 के विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय किया गया। अतः वादी ने यह घोषणा किए जाने का निवेदन किया है कि स्व. पैसरनिन बाई के विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 ही खसरा क्रमांक 522, 32, 396/1, 513 एवं 386 की भूमि, जिनका रकबा क्रमशः 0.13, 3.21, 0.69, 2.24 एवं 0.03 हेक्टेयर है, जो ग्राम– बोहरडीह, पटवारी हल्का नंबर 19, राजस्व मण्डल– भिलाई, तहसील व जिला– दुर्ग में स्थित है, के स्वत्वधारी हैं।

4. प्रतिवादी क्रमांक–1 द्वारा वादपत्र में किए गए आरोपों का खंडन करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है। मुख्य रूप से यह प्रतिवाद किया गया है कि वादी अश्वनी कुमार नहीं है, बल्कि वह इंदौर का निवासी है तथा उसका नाम कुंज बिहारी पिता बंशीधर है। आगे यह भी कथन किया गया है कि इंदौर हाउसिंग बोर्ड से संबंधित भू–खण्ड के पंजीयन अभिलेखों के अनुसार उसका पता दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखलिया, इंदौर अंकित है तथा उक्त कुंज बिहारी ने स्वीकारोक्ति में यह कथन किया है कि उसके पुत्र रमेश कुमार ठाकुर ने स्वयं को अश्वनी कुमार के रूप में प्रतिरूपित कर वर्तमान वाद अपने हिस्से का दावा करते हुए प्रस्तुत किया है, जो कि संपत्ति प्राप्त करने हेतु किया गया एक कपटपूर्ण कृत्य है। स्व. तारनदास की पुत्रियों का वादग्रस्त संपत्ति में कोई हिस्सा अथवा हित होने से भी इंकार किया गया है तथा वाद को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. प्रतिवादी क्रमांक–2, जो कि वादग्रस्त संपत्ति के एक भाग का क्रेता है, द्वारा भी लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह प्रतिवाद किया गया है कि वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी क्रमांक–2 द्वारा दिनांक

15.02.2002 के पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि मूलतः पैसरनिन बाई की थी तथा लक्ष्मी बाई, पैसरनिन बाई की पुत्री है। आगे यह भी कथन किया गया है कि जब प्रतिवादी क्रमांक–1 भोलाराम की आयु लगभग 10 से 11 वर्ष थी, तब पैसरनिन बाई, जो उसकी नानी थीं, ने भोलाराम को अपने पुत्र के रूप में गोद ले लिया था तथा भोलाराम ने पैसरनिन बाई एवं उनके पति गंगाराम का अंतिम संस्कार किया था। पैसरनिन बाई के निधन के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक–1 तथा उसका पुत्र उक्त भूमि के कब्जे में हैं। यह भी प्रतिवाद किया गया है कि वादी एवं उसकी बहनों का वादग्रस्त संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे कभी भी उक्त भूमि के कब्जे में नहीं रहीं और न ही वादग्रस्त संपत्ति संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है। अतः वाद को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के अभिकथनों के आधार पर कुल नौ विवाद्यक विरचित किए, जिनमें से विवाद्यक क्रमांक 1, 2, 4 व 6 सुसंगत हैं, अतः उन्हें निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है:–

> "1. क्या वादी अश्वनी कुमार प्रतिवादी कमांक 1 भोलाराम का सगा भाई है?
>
> 2. क्या वादी पसरनीन बाई के वारिसान होने के नाते वाद भूमि ख.नं. 522, 32, 396/1,513,386 रकबा 0.13, 3.21, 0.69, 2.24, 0.03 हेक्टेयर का सहस्वामी है?
>
> 4. क्या विक्रय पत्र दिनांक 15.2.2002 अवैध एवं शून्य होने के कारण उपरोक्त विक्रय पत्र में वर्णित संपत्ति में प्रतिवादी क्रमांक 1 का कोई हक व अधिकार नहीं है?
>
> 6. क्या वादी फर्जी अश्वनी कुमार बनकर संपत्ति पर दावा करते हुए वाद किया है?"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. वादपत्र में किए गए कथनों के समर्थन में वादी द्वारा स्वयं वादी अश्वनी कुमार (अ.सा.–1) को साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया तथा निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित किए गए दिनांक 02.04.2005 का आदेश, जो विद्वान अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–II, दुर्ग द्वारा पारित किया गया (प्र. पी/1), उक्त आदेश की डिक्री (प्र. पी/2), दिनांक 16.09.2005 का आदेश, जो विद्वान पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–II, दुर्ग द्वारा पारित किया गया (प्र. पी/3), उक्त आदेश की डिक्री (प्र. पी/4), दिनांक 16.05.2001 का आदेश, जो तहसीलदार, पाटन, दुर्ग द्वारा पारित किया गया (प्र. पी/5), दिनांक 15.02.2002 का विक्रय विलेख की प्रति (प्र. पी/6), दिनांक 16.02.2010 का आदेश, जो विद्वान द्वादश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा पारित किया गया (प्र. पी/7), उक्त आदेश की डिक्री (प्र. पी/8), खसरा पंचशाला (प्र. पी/9) तथा बी–1 की प्रति (प्र. पी/10)।

8. प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रह्लाद साहू (ब.सा.–1) को साक्षी के रूप में परीक्षित किया गया तथा वर्ष 2007–08 की राजस्व पंजी की प्रति (प्र. डी/1) एवं नामांतरण पंजी की प्रति (प्र. डी/2) प्रदर्शित की गई।

9. वादी अश्वनी कुमार (अ.सा.–1) का परीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 18 नियम 4 के अंतर्गत शपथ–पत्र के माध्यम से किया गया, जिसमें उसने वादपत्र में लिए गए अपने पक्ष को पुनः दोहराया। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि वादग्रस्त संपत्ति उसे अपनी नानी से प्राप्त हुई है, क्योंकि उसकी माता नानी की एकमात्र पुत्री थीं तथा उसकी माता का निधन नानी से पूर्व हो गया था, और उसका तथा उसके भाई/स्व. प्रतिवादी क्रमांक–1 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी बहनों को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसका तथा उसके भाई का नाम वादग्रस्त संपत्ति के स्वामी के रूप में दर्ज है। उसने यह भी स्वीकार किया कि पैसरनिन बाई से प्राप्त वह भूमि, जिसे भोलाराम द्वारा विक्रय किया गया था, का कब्जा उसे प्राप्त हो चुका है तथा वर्तमान में वह 12 एकड़ भूमि के कब्जे में है। उसने इस बात से इंकार किया कि भोलाराम द्वारा जानकी बाई को विक्रय की गई भूमि का कब्जा उसे प्राप्त हुआ है। उसने स्वीकार किया कि वह और भोलाराम सगे भाई हैं तथा दादी पैसरनिन बाई से प्राप्त भूमि पर दोनों का समान अधिकार है। उसने इस कथन से भी इंकार किया कि केवल भोलाराम का ही नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. प्रह्लाद साहू (ब.सा.–1) का परीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अंतर्गत शपथ–पत्र के माध्यम से किया गया, जिसमें उसने लिखित कथन में लिए गए अपने पक्ष को पुनः दोहराया। उसने स्वीकार किया कि दिनांक 15.02.2002 को भोलाराम, जो कि वादी अश्वनी का भाई है, ने ग्राम बोहरडीह, तहसील पाटन स्थित भूमि का विक्रय विलेख अपनी पत्नी जानकी बाई तथा अपनी माता केजिया बाई के नाम निष्पादित किया था तथा हेमंत कुमार, भोलाराम का पुत्र है। उसने यह भी स्वीकार किया कि हेमंत कुमार के नाम दर्ज भूमि को भोलाराम द्वारा जानकी बाई के पक्ष में विक्रय किया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि अश्वनी कुमार द्वारा जानकी बाई के नाम निष्पादित विक्रय विलेख को अवैध घोषित किए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उक्त विक्रय विलेख निरस्त कर दिया गया तथा उक्त आदेश में जानकी बाई को अश्वनी कुमार को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया था। उक्त वाद की अपील उच्च न्यायालय में लंबित है। उसने इस बात से इंकार किया कि दिनांक 16.05.2001 को तहसीलदार द्वारा अश्वनी कुमार का नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। उसने यह भी इंकार किया कि तहसीलदार के आदेश से अश्वनी कुमार का नाम खसरा बी–1 में दर्ज किया गया था।

11. आगे के प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि अश्वनी कुमार का नाम खसरा बी–1 में दर्ज था तथा यह जानते हुए भी उन्होंने जानबूझकर उक्त भूमि को भोलाराम से क्रय किया। उसने यह भी

इंकार किया कि भोलाराम द्वारा अश्वनी कुमार की भूमि के संबंध में कोई दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भोलाराम ने यह कथन किया था कि अश्वनी कुमार उसका भाई नहीं है तथा बाद में निर्णय अश्वनी कुमार के पक्ष में दिया गया था, तथा उसे प्रदर्श पी/3 में उल्लेखित क्रमांक 05 से 09 तक के व्यक्तियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने इस बात से भी इंकार किया कि भूमि भोलाराम एवं अश्वनी कुमार के नाम दर्ज थी तथा उसने अपनी माता के साथ मिलकर भोलाराम की ओर से उक्त भूमि का विक्रय विलेख पंजीकृत कराया। उसने यह भी इंकार किया कि पंजीयन से पूर्व पटवारी द्वारा उसे समस्त तथ्यों की जानकारी दी गई थी। उसने यह भी इंकार किया कि अपनी माता केजिया बाई के निधन के पश्चात उसके भाइयों एवं बहनों ने किसी पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकार का परित्याग किया था। आगे उसने यह कथन किया कि उन सभी ने तहसीलदार के समक्ष उसके एकमात्र नाम से स्वत्वांतरण किए जाने पर सहमति दी थी तथा उसे यह जानकारी बाद में हुई कि वादग्रस्त भूमि भोलाराम की नानी पैसरनिन बाई की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं सामग्री का सम्यक् मूल्यांकन करते हुए, दिनांक 31.08.2017 को पारित अपने निर्णय एवं आज्ञप्ति द्वारा वादी के पक्ष में वाद डिक्रीत किया। न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि अश्वनी कुमार, स्व. प्रतिवादी क्रमांक–1 भोलाराम का सगा भाई है तथा ग्राम– बोहरडीह, पटवारी हल्का नंबर 19, राजस्व मण्डल– भिलाई, तहसील व जिला– दुर्ग में स्थित खसरा क्रमांक 522, 32, 396/1, 513 एवं 386 की भूमि, जिनका रकबा क्रमशः 0.13, 3.21, 0.69, 2.24 एवं 0.03 हेक्टेयर है, का सह–स्वामी है। यह भी अभिलिखित किया गया कि प्रतिवादी क्रमांक–1 को वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था, अतः दिनांक 15.02.2002 का विक्रय विलेख शून्य एवं अकृत है तथा वादी पर बंधनकारी नहीं है। यह भी पाया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त भूमि पैसरनिन बाई से प्राप्त नहीं हुई थी अथवा यह प्रतिवादी क्रमांक–1 की स्व–अर्जित संपत्ति थी, जबकि वादी द्वारा अन्य न्यायालयों के निर्णयों की प्रतिलिपियाँ अभिलेख पर प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें भी वादी द्वारा स्व. प्रतिवादी भोलाराम के विरुद्ध इसी प्रकार अन्य संपत्तियों के विक्रय के संबंध में वाद प्रस्तुत किए गए थे तथा वे सभी वाद वादी के पक्ष में निर्णीत हुए थे, जिनमें वादी को स्व. प्रतिवादी भोलाराम के साथ उन समस्त संपत्तियों का सह–स्वामी माना गया था। दिनांक 31.08.2017 के उक्त निर्णय एवं आज्ञप्ति से व्यथित होकर, प्रतिवादी क्रमांक–2/वादग्रस्त संपत्ति के क्रेता द्वारा वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

13. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2017 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति विधि एवं तथ्यों दोनों की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, अतः वह संधारणीय नहीं है। आगे यह भी तर्क किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय को यह

निष्कर्ष निकालना चाहिए था कि वादग्रस्त संपत्ति का वह भाग, जो खसरा क्रमांक 32, रकबा 3.21 हेक्टेयर है, प्रतिवादी क्रमांक–2 द्वारा दिनांक 15.02.2002 के पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से एक सद्भावनापूर्ण क्रेता के रूप में क्रय किया गया था। यह भी कहा गया कि भले ही संपत्ति पैतृक हो और वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 के मध्य कोई विभाजन न हुआ हो, तथापि प्रतिवादी क्रमांक–1 को अपने अंश तक विक्रय विलेख निष्पादित करने का अधिकार था। अतः अपील स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गई। अपने तर्कों के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 430/2001 (फूलोबती व अन्य विरुद्ध खिरोबती व अन्य) में दिनांक 06.12.2018 को पारित निर्णय का संदर्भ दिया।

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए था कि वादी वास्तव में अश्वनी कुमार नहीं है, बल्कि प्रतिवादी क्रमांक–1 के कथनानुसार वह कुंज बिहारी है। साथ ही यह भी तर्क किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय को यह भी मानना चाहिए था कि वादग्रस्त संपत्ति वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 की संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी क्रमांक–1, पैसरनिन बाई का दत्तक पुत्र था, अतः वादग्रस्त संपत्ति उसकी पृथक संपत्ति थी तथा अपीलार्थी वादग्रस्त संपत्ति का सद्भावनापूर्ण क्रेता है, क्योंकि विक्रय के समय वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–2 को किसी प्रकार के विवाद की सूचना नहीं दी गई थी। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.08.2017 के निर्णय एवं आज्ञप्ति को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पूर्णतः न्यायोचित एवं विधिसम्मत हैं, जिनमें इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई।

16. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया है।

17. पक्षकारों के अभिकथनों से इस न्यायालय के समक्ष विचारणार्थ निम्नलिखित बिंदु उद्भूत होता है——

> "क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2002 के विक्रय विलेख को शून्य एवं अकृत घोषित किए जाने संबंधी अभिलिखित निष्कर्ष विधिसम्मत एवं न्यायोचित है? "

18. उक्त बिंदु का सम्यक् विचार करने हेतु इस न्यायालय को अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों का संक्षेप में परीक्षण करना आवश्यक है। वादी ने अपने मुख्य परीक्षण में वादपत्र में किए गए कथनों को पुनः दोहराया

है तथा प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य अभिलेख पर आया है कि वादग्रस्त संपत्ति उसे उसकी नानी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई, क्योंकि उसकी माता अपनी माता की एकमात्र संतान थीं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त संपत्ति वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि भोलाराम द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख को निरस्त किए जाने हेतु उसने वाद प्रस्तुत किया था तथा न्यायालय के हस्तक्षेप से उसे लगभग 12 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें अपनी नानी से कुल 25 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी भोलाराम का, सगे भाई होने के नाते, समान अंश था।

19. अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि न तो प्रतिवादी क्रमांक–1 और न ही उसके विधिक उत्तराधिकारियों को विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित किया गया। दिनांक 28.04.2017 को प्रतिवादी क्रमांक–1 के विधिक प्रतिनिधियों को एकपक्षीय करार दिया गया तथा दिनांक 04.08.2017 को प्रतिवादी क्रमांक–2 के विधिक प्रतिनिधियों की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर साक्ष्य बंद कर दी गई। प्रतिवादी क्रमांक–2 की ओर से प्रह्लाद का शपथ–पत्र के माध्यम से परीक्षण किया गया, परंतु उसने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसकी माता केजिया बाई वास्तव में एक सद्भावनापूर्ण क्रेता थीं। अपितु उसने स्वयं यह स्वीकार किया कि अश्वनी कुमार/वादी द्वारा विक्रय विलेख को शून्य एवं अकृत घोषित किए जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था, जो डिक्रीत किया गया, जिसमें वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा सौंपने का आदेश दिया गया था। उसने यह भी कहा कि उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील लंबित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं सामग्री से यह स्पष्ट है कि वादी यह साबित करने में सफल रहा है कि वादग्रस्त संपत्ति पैतृक/वंशानुगत संपत्ति है तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–1, दोनों पैसरनिन बाई के विधिक उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि वे सगे भाई हैं। तथापि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2002 के संपूर्ण विक्रय विलेख को शून्य एवं अकृत घोषित करना विधिसंगत नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक–1, वादी एवं उनकी दो बहनें वादग्रस्त संपत्ति के सहदायिक हैं तथा प्रत्येक सहदायिकी को अपने–अपने अंश की सीमा तक संपत्ति का विक्रय करने का अधिकार है।

21. विद्वान विचारण न्यायालय को यह भी दृष्टिगत रखना चाहिए था कि उसके समक्ष वाद की लंबितावस्था के दौरान हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 में संशोधन किया गया, जिसके फलस्वरूप हिंदू कुटुम्ब की संपत्ति में पुत्रियों को भी सहदायिक का दर्जा प्राप्त हो गया। संशोधन के पश्चात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 निम्नानुसार है–

> **धारा 6. सहदायिकी सम्पत्ति में के हित का न्यागमन–**
>
> (1) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से ही मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब में किसी सहदायिक की पुत्री,

(क) जन्म से ही अपने स्वयं के अधिकार से उसी रीति से सहदायिक बन जाएगी जैसे पुत्र होता है;

(ख) सहदायिकी संपत्ति में उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे तब प्राप्त हुए होते जब वह पुत्र होती;

(ग) उक्त सहदायिकी संपत्ति के संबंध में पुत्र के समान ही दायित्वों के अधीन होगी, और हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक के प्रति किसी निर्देश से यह समझा जाएगा कि उसमें सहदायिक की पुत्री के प्रति कोई निर्देश सम्मलित है:परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्ययन या अन्यसंक्रामण को, जिसके अंतर्गत संपत्ति का ऐसा कोई विभाजन या वसीयती व्यय भी है, जो 20 दिसम्बर, 2004 से पूर्व किया गया था, प्रभावित या अविधिमान्य नहीं करेगी।

(2) कोई संपत्ति, जिसके लिए कोई हिन्दू नारी उपधारा (1) के आधार पर हकदार बन जाती है, उसके द्वारा सहदायिकी स्वामित्व की प्रसंगतियों सहित धारित की जाएगी और, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य बिधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वसीयती व्ययन द्वारा उसके द्वारा किए जाने योग्य संपत्ति के रूप में समझी जाएगी।

(3) जहां किसी हिन्दू की, हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पश्चात् मृत्यु हो जाती है, वहां मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब की संपत्ति में उसका हित, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत हो जाएगा परंतु उत्तरजीविता के आधार पर नहीं और सहदायिकी संपत्ति इस प्रकार विभाजित की गई समझी जाएगी मानो विभाजन हो चुका था, और

(क) पुत्री को वही अंश आवंटित होगा जो पुत्र को आबंटित किया गया है;

(ख) पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री का अंश, जो उन्हें तब प्राप्त हुआ होता यदि वे विभाजन के समय जीवित होते, ऐसे पूर्व मृत पुत्र या ऐसी पूर्व मृत पुत्री की उत्तरजीवी संतान को आबंटित किया जाएगा और (ग) किसी पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान का अंश जो उस संतान ने उस रूप में प्राप्त किया होता यदि वह विभाजन के समय जीवित होती, यथास्थिति, पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान की संतान को आबंटित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति में का वह अंश समझा जाएगा जो उसे आबंटित किया गया होता यदि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसकी अपनी मृत्यु से अव्यवहित पूर्व संपत्ति का विभाजन किया गया होता, इस बात का विचार किए बिना कि वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं।

(4) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पश्चात् कोई न्यायालय किसी पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध उसके पिता, पितामह, या प्रपितामह से शोध्य किसी ऋण की वसूली के लिए हिन्दू विधि के अधीन पवित्र बाध्यता के आधार पर ही ऐसे किसी ऋण को चुकाने के लिए ऐसे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने के किसी अधिकार को मान्यता नहीं देगा: परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पूर्व लिए गए ऋण की दशा में इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी, –

(क) यथास्थिति, पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध कार्यवूही करने के लिए किसी ऋणदाता का अधिकार, या

(ख) किसी ऐसे ऋण के संबंध में या उसके चुकाए जाने के लिए किया गया कोई संक्रामण और कोई ऐसा अधिकार या संक्रामण पवित्र बाध्यता के नियम के अधीन वैसी ही रीति में और उसी सीमा तक प्रवर्तनीय होगा जैसा कि उस समय प्रवर्तनीय होता जबकि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित न किया गया होता।

स्पष्टीकरण– खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, "पुत्र", "पौत्र" या "प्रपौत्र" पद से यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, ऐसे पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के प्रति निर्देश है, जो हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के पूर्व पैदा हुआ था दत्तक ग्रहण किया गया था।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे विभाजन को लागू नहीं होगी जो 20 दिसम्बर, 2004 से पूर्व किया गया है। स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विभाजन" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 के 16) अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन या किसी न्यायालय की किसी डिक्री द्वारा किया गया विभाजन अभिप्रेत है।

22. माननीय उच्तम न्यायालय ने **विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा [(2020) 9 एस.सी.सी. 1]** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि पुत्री, सहदायिक होने के नाते, मृत हिंदू की संपत्ति में पुत्र के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

समान अंश की उत्तराधिकारी होने की हकदार है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के कण्डिकाएँ 137 एवं 138 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है—

"137. फलस्वरुप, हम संदर्भ का उत्तर निम्नानुसार देते हैं :

137.1. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की प्रतिस्थापित धारा 6 में निहित प्रावधान, संशोधन से पूर्व या पश्चात जन्मी पुत्री को पुत्र के समान अधिकारों एवं दायित्वों सहित सहदायिक का दर्जा प्रदान करते हैं।

137.2. संशोधन से पूर्व जन्मी पुत्री भी दिनांक 09.09.2005 से अपने अधिकार का दावा कर सकती है, तथापि धारा 6(1) में उपबंधित अपवाद के अधीन, अर्थात् दिनांक 20 दिसंबर, 2004 से पूर्व किए गए किसी भी विनियोग, अंतरण, विभाजन अथवा वसीयतनामा संबंधी विन्यास के संबंध में।

137.3. चूँकि सहदायिक में अधिकार जन्मसिद्ध है, अतः यह आवश्यक नहीं है कि पिता सहदायिक दिनांक 09.09.2005 को जीवित हो।

137.4. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की मूल धारा 6 के प्रावधान द्वारा सृजित विभाजन की वैधानिक कल्पना से न तो वास्तविक विभाजन हुआ और न ही संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। यह कल्पना केवल इस उद्देश्य से थी कि मृत सहदायिक का अंश निर्धारित किया जा सके, जब वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्ग–I की स्त्री उत्तराधिकारी अथवा ऐसी स्त्री की पुरुष संबंधी द्वारा उत्तरजीवी हो। प्रतिस्थापित धारा 6 के प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव दिया जाना आवश्यक है। भले ही प्रारंभिक डिक्री पारित हो चुकी हो, तथापि अंतिम डिक्री की लंबित कार्यवाही अथवा अपील में पुत्रियों को सहदायिक में पुत्र के समान अंश प्रदान किया जाना आवश्यक है।

137.5. अधिनियम, 1956 की धारा 6(5) के स्पष्टीकरण में निहित कठोर प्रावधानों के दृष्टिगत मौखिक विभाजन का अभिवचन स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि विभाजन पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा अथवा न्यायालय की डिक्री द्वारा संपन्न न हुआ हो। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ मौखिक विभाजन का दावा लोक दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो तथा विभाजन उसी प्रकार प्रत्यक्ष हो, जैसे वह न्यायालय की डिक्री द्वारा किया गया हो, तब उसे स्वीकार किया जा सकता है। केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन का दावा स्वीकार्य नहीं है और उसे सीधे तौर पर अस्वीकार किया जाना चाहिए।

138. हम यह समझते हैं कि इस प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं विचारण न्यायालयों में वाद/अपीलें लंबित हैं। परस्पर विरोधी निर्णयों से उत्पन्न विधिक जटिलताओं के कारण प्रकरणों में पहले ही विलंब हो चुका है। पुत्रियों को धारा 6 द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः हम यह अपेक्षा करते हैं कि लंबित प्रकरणों का, जहाँ तक संभव हो, छह माह की अवधि के भीतर निस्तारण किया जाए।

139. उपर्युक्त विचार–विमर्श एवं उत्तर के प्रकाश में, प्रकाश विरुद्ध फुलावती तथा मंगम्मल विरुद्ध टी.बी. राजू व अन्य में व्यक्त विपरीत अभिमतों को हम निरस्त करते हैं। दनम्मा उर्फ सुमन सुरपुर व एक अन्य विरुद्ध अमर में व्यक्त अभिमत को आंशिक रूप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से खारिज किया जाता है, क्योंकि यह इस निर्णय के विपरीत है। प्रकरणों को गुण–दोष के आधार पर निर्णय हेतु उपयुक्त पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।"

23. इन विधिक आधारों पर, प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत इस तर्क पर यह न्यायालय विचार कर रहा है कि दो पुत्रियाँ, नामतः सुमित्रा बाई और कमला बाई, प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं और उन्हें पक्षकार बनाए बिना, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है तथा केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति के परिशीलन से यह सुस्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक क्रमांक 7 व 8 का निर्णय करते समय, आवश्यक पक्षकार के अ–संयोजन के कारण वाद की पोषणीयता के संबंध में प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार नहीं किया है। अतः, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 में हुए संशोधन और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विनीता शर्मा** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए, वादी के लिए अपनी बहनों को प्रकरण में पक्षकार बनाना और भी आवश्यक है, जिन्हें उसने पक्षकार नहीं बनाया है। यहाँ तक कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भी आवश्यक पक्षकार के अ–संयोजन की त्रुटि पर विचार नहीं किया है, जिनकी अनुपस्थिति में कोई प्रभावशील डिक्री पारित नहीं की जा सकती; क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार पुत्रियाँ वाद की उचित पक्षकार हैं, जो आवश्यक पक्षकार को पक्षकार न बनाने के प्रभाव का प्रावधान करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 निम्नानुसार है :–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> **सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 1 नियम 9– कुसंयोजन और असंयोजन** कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक उन पक्षकारों के, जो उसके वस्तुतः समक्ष है, अधिकारों और हितों का सम्बन्ध है :
>
> परंतु इस नियम की कोई बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी ।

24. चूंकि पुत्रियाँ सहदायिक हैं और वादी की इच्छा के बावजूद, पक्षकारों के मध्य सभी विवादों के प्रभावी और पूर्ण न्यायनिर्णयन के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है, अतः विद्वान विचारण न्यायालयों को अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था और पुत्रियों को कार्यवाही में पक्षकार के रूप में सम्मिलित करना चाहिए था। वर्तमान प्रकरण में, पुत्रियां वाद में प्रत्यक्ष अथवा विधिक रूप से हितबद्ध हैं, जिसका परिणाम ऐसा हो सकता है जो उनके विधिक अधिकारों में कटौती करके उन्हें कानूनी रूप से प्रभावित करे।। इन मापदंडों को विचार में रखते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि वादी, पुत्रियों को प्रकरण में पक्षकार बनाने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

25. यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत भी है कि 'आवश्यक एवं उचित पक्षकार' के सिद्धांत का मुख्य प्रयोजन उन सभी पक्षकारों को सम्मिलित करना है जो विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण में प्रभावी अनुतोष प्रदान करने के लिए आवश्यक हों। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मोरेशर यादवराव महाजन विरुद्ध व्यंकटेश सीताराम भेदी [2022 एससीसी आनलाइन 1307]** के प्रकरण में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार न बनाने के प्रभाव पर विचार किया है और कण्डिकाएँ 17 से 21 में निम्नानुसार अवधारित किया है:–

"17. इस न्यायालय ने, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है:

'15. "आवश्यक पक्षकार" वह व्यक्ति है जिसे पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था और जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई भी प्रभावशील डिक्री पारित नहीं की जा सकती। यदि किसी "आवश्यक पक्षकार" को पक्षकार नहीं बनाया जाता है, तो वाद स्वयं खारिज होने योग्य हो जाता है। एक "उचित पक्षकार" वह पक्षकार है, जो यद्यपि आवश्यक पक्षकार नहीं है, किंतु वह ऐसा व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति न्यायालय को वाद में विवादित सभी प्रकरणों का पूर्ण, प्रभावी और पर्याप्त रूप से न्यायनिर्णयन करने में सक्षम बनाएगी, भले ही वह ऐसा व्यक्ति न हो जिसके पक्ष में या जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की जानी हो। यदि कोई व्यक्ति उचित या आवश्यक पक्षकार नहीं पाया जाता है, तो न्यायालय को वादी की इच्छा के विरुद्ध उसे पक्षकार बनाने की अधिकारिता नहीं है। यह तथ्य कि वादी के विरुद्ध वाद का निर्णय होने के बाद, किसी व्यक्ति को वादग्रस्त संपत्ति में अधिकार/हित प्राप्त होने की संभावना है, ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट अनुपालन के वाद में आवश्यक या उचित पक्षकार नहीं बनाएगा।'

18. अतः यह देखा जा सकता है कि एक "आवश्यक पक्षकार" वह व्यक्ति है जिसे पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था और जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई प्रभावशील डिक्री पारित नहीं की जा सकती। यह निर्धारित किया गया है कि यदि एक "आवश्यक पक्षकार" को पक्षकार नहीं बनाया जाता है, तो वाद स्वतः ही खारिज होने योग्य है।

19. जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है, वादी ने स्वयं वाद–पत्र में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त संपत्ति पर प्रतिवादी, उसकी पत्नी और तीन पुत्रों का संयुक्त स्वामित्व है। प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में आवश्यक पक्षकारों के अ–संयोजन के संबंध में एक विशिष्ट आपत्ति भी ली गई थी। चूंकि वादग्रस्त संपत्ति पर प्रतिवादी के साथ उसकी पत्नी और तीन पुत्रों का संयुक्त स्वामित्व था, इसलिए उन्हें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पक्षकार बनाए बिना प्रतिवादी की पत्नी और तीन पुत्रों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली कोई प्रभावशील डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में आपत्ति लेने के बावजूद, वादी ने प्रतिवादी की पत्नी और तीन पुत्रों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार न बनाने का विकल्प चुना। जहाँ तक श्री चिटनिस द्वारा इस न्यायालय के कस्तूरी (पूर्वोक्त) के निर्णय का लिए गए अवलंब का प्रश्न है, उसमें प्रश्न यह था कि क्या वह व्यक्ति जो विक्रेता के स्वत्व के प्रतिकूल स्वतंत्र स्वत्व और कब्जे का दावा करता है, आवश्यक पक्षकार हो सकता है या नहीं। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने इस प्रकार धारित किया: '

7. ....उपरोक्त से, अब यह स्पष्ट है कि कौन आवश्यक पक्षकार है, इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए दो परीक्षणों को संतुष्ट करना होगा। वे परीक्षण हैं —— (1) कार्यवाही में शामिल विवादों के संबंध में ऐसे पक्षकार के विरुद्ध कुछ अनुतोष का अधिकार होना चाहिए; (2) ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावशील डिक्री पारित नहीं की जा सकती।'

20. इस प्रकार देखा जा सकता है कि इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आवश्यक पक्षकार होने के लिए दो परीक्षण को संतुष्ट करना अनिवार्य है। प्रथम यह कि कार्यवाही में शामिल विवादों के संबंध में ऐसे पक्षकार के विरुद्ध कुछ अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। द्वितीय यह कि ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावशील डिक्री पारित नहीं की जा सकती।

21. वादी की स्वयं की इस स्वीकारोक्ति के आलोक में कि वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादी, उसकी पत्नी और तीन पुत्रों के संयुक्त स्वामित्व में थी, उनकी अनुपस्थिति में कोई प्रभावशील डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अभिलेख पर प्रस्तुत सभी तथ्यों, साक्ष्यों और सामग्रियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह अभिमत है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति अपास्त किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है। वाद को विचारण न्यायालय को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह केवल सुमित्रा बाई और कमला बाई नामक पुत्रियों को पक्षकार के रूप में शामिल करने के पश्चात विधिसम्मत प्रकरण का नए सिरे से निर्णय करे। पक्षकारों को अपने अभिवचनों में संशोधन करने या केवल सुमित्रा बाई और कमला बाई को पक्षकार बनाने के प्रभाव के परीक्षण की सीमा तक साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी,तथा शेष अभिवचन और साक्ष्य यथावत रहेंगे। तत्पश्चात, विचारण न्यायालय वाद के व्यक्तिगत पक्षकारों के हिस्से का निर्धारण यह विचार करते हुए करेगा कि विक्रय–विलेख किस सीमा तक शून्य व अकृत है। विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि

'प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादग्रस्त संपत्ति विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है और दिनांक 15.02.2002 का विक्रय विलेख शून्य व अकृत है', इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि दिनांक 15.02.2002 के विक्रय विलेख की शून्य व अकृत की घोषणा केवल वादी के हिस्से की सीमा तक होगी तथा बहनें अर्थात् सुमित्रा बाई और कमला बाई का हिस्सा, साक्ष्य अभिलिखित किए जाने और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर उक्त विवाद्यक पर विचारण न्यायालय के निर्णय के परिणाम पर निर्भर करेगा।

27. उपरोक्त तथ्यात्मक और विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के विधिक वारिस– केजिया बाई, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार विचारण न्यायालय द्वारा वाद का अंतिम निर्णय होने तक वादग्रस्त संपत्ति का अन्य संक्रामण नहीं करेंगे। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय के समक्ष प्रथम उपस्थिति की तिथि से एक वर्ष और छह माह की अधिकतम समयावधि के भीतर विचारण पूर्ण करने का प्रयत्न करे। पक्षकारों को **9 अक्टूबर, 2025** को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। अभिलेख विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

28. तदनुसार, वर्तमान प्रथम अपील उपरोक्त दर्शित सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**